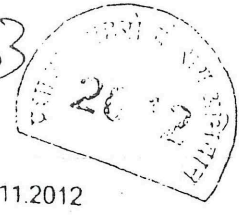


(432)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(54)नवि/3/2011पार्ट

जयपुर, दिनांक : 20.11.2012



आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012 के दौरान सरकारी भूमि पर बंसी आयासीय कॉलोनीयों एवं सरकारी भूमि पर काबिज व्यक्तियों के भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही भी की जानी है। नियमन की गयी ऐसी भूमि की भविष्य में जनहित में सड़क चौड़ी करने के लिये आवश्यकता हो सकती है जिसके लिए अवाप्ति की कार्यवाही भी की जा सकती है।

नगरीय विकास विभाग के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा क्रमांक प.5(1)मं.मं./2009 दिनांक 26.04.2011 द्वारा गठित एवं आदेश दिनांक 23.12.2011 से पुनर्गठित एम्पावर्ड समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 9.11.2012 में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012 के दौरान नियमित की गई सरकारी भूमि को जनहित में सड़क चौड़ी करने के लिये अवाप्त किये जाने पर मुआवजा राशि नियमन दर एवं नियमानुसार 8 प्रतिशत ब्याज राशि के अनुसार भुगतान किये जाने के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया है :-

"समिति द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012 की अविधि में सरकारी भूमि पर नियमित किये जाने वाले भूखण्डों को यदि भविष्य में जनहित में सड़क चौड़ी करने के लिए अवाप्त किया जाता है तो मुआवजा राशि नियमन के पेटे जमा करायी गई राशि एवं 8 प्रतिशत ब्याज दिये जाने का निर्णय लिया गया। ऐसे प्रकरणों में उपरोक्तानुसार आवंटि से अण्डर टेकिंग लिये जाने तथा पट्टे पर भी उक्त शर्त का उल्लेख अनिवार्य रूप से किये जाने का निर्णय लिया गया। यदि कोई निर्माण कर लिया गया हो तो उसके लिए प्रचलित पी.डब्ल्यू.डी. बीएसआर के अनुसार राशि देय होगी।"

अतः सभी सम्बंधित द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाये।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आर.के.पारीक)

उप शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
7. सम्भागीय आयुक्त, समस्त (राजस्थान)।
8. जिला कलेक्टर, समस्त (राजस्थान)।
9. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. शासन उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नविदि।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश समस्त स्थानीय निकायों को प्रेषित करते हुए अपने विभाग की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करवाये।
12. महापौर/समापति/अध्यक्ष, नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिकाएं (समस्त) राजस्थान।
13. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, समस्त (राजस्थान)।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/आधेशाही अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिकाएं (समस्त) राजस्थान।
15. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त (राजस्थान)।
16. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव-द्वितीय

(346)